**न्यायालय– दशम जिला न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)**
**( समक्ष– अशरफ अली )**

विविध व्यवहार अपील क्रमांक– 160 / 2022
फाइलिंग नंबर– 19446 / 2022
सी.एन.आर.नंबर– एम.पी.0701–025491 / 2022
फाईलिंग दिनांक– 11 / 10 / 2022

1. प्रकाश सिंह पुत्र स्व. जहानसिंह, आयु– 42 वर्ष,
2. वासुदेव सिंह पुत्र स्व. जहानसिंह, आयु– 40 वर्ष,
3. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व. कल्याण सिंह, आयु– 38 वर्ष,
4. शिवराज सिंह पुत्र स्व. कल्याण सिंह, आयु– 41 वर्ष,
   निवासीगण– ग्राम गिरगांव, जिला ग्वालियर, म.प्र.।
5. मुन्नीबाई पत्नि भारतसिंह, आयु– 58 वर्ष, निवासी– ग्राम गुरीखा, तहसील– गोहद, जिला– भिण्ड, म.प्र.
6. शारदा देवी पत्नि उम्मेदसिंह, आयु– 55 वर्ष, निवासी– ग्राम सुनारपुरा, माफी, जिला ग्वालियर
7. रामबेटी पत्नि वकीलसिंह, आयु– 53 वर्ष, निवासी– ग्राम सैनपुरा, तहसील– इंदरगढ़, जिला दतिया
8. ब्रदी सिंह पुत्र स्व. बृखभानसिंह, आयु– 60 वर्ष,
9. आदिराम सिंह पुत्र स्व. बृखभानसिंह, आयु– 58 वर्ष, निवासीगण– ग्राम गिरगांव, जिला ग्वालियर
10. बेटीबाई पत्नि सुल्तानसिंह पुत्री स्व. बृखभानसिंह, आयु– 62 वर्ष, निवासी– ग्राम गिरगौन, जिला मुरैना, म.प्र.।

**.....अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर, म.प्र.।

2. तहसीलदार, टप्पा मुरार, जिला ग्वालियर म.प्र.।

**.....प्रत्यर्थीगण**

.....

अपीलार्थीगण द्वारा श्री अनिल बंसल अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री मृत्युजंय गोस्वामी शासकीय अधिवक्ता।

.....

**आदेश**
**दिनांक 10.12.2022 को पारित**

01. यह विविध व्यवहार अपील अंतर्गत आदेश 43 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 द्वादशम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर, श्रीमती सरोज बाला मुजाल्दा (जिसे आगे विद्वान विचारण न्यायालय से संबोधित किया जायेगा) द्वारा प्रकरण क्रमांक 202ए/2016 प्रकाशसिंह बनाम म.प्र. शासन आदि में पारित आदेश दिनांक 16/07/2022, जिसके द्वारा अपीलार्थी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 10 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं पुनरावलोकन आदेश दिनांक 13.09.2022, जिसके द्वारा अपीलार्थी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. निरस्त किये गये हैं, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

02. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 10 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण ने वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा सहित इन्द्राज दुरुस्ती के जयपत्र की सहायता बाबत् पेश किया है। वादीगण द्वारा वर्तमान वाद का मूल्याकंन घोषणा हेतु 2,50,00,000/– रुपये रेवन्यू रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बाबत् मूल्यांकन 10,00,000/– रुपये स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 200/– रुपये कायम कर कुल वाद मूल्यांकन 2,60,00,200/– रुपये कायम कर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 में प्रस्तुत किया है जबकि उक्त वाद के मूल्यांकन की सुनवाई के विचार का अधिकार, श्रवण का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है बल्कि जिला जज ग्वालियर को प्राप्त है। उस अनुसार वादीगण की ओर से वर्तमान वाद सक्षम न्यायालय में पेश नहीं किया है। वादीगण को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु इसी स्तर पर लौटाया जाना न्यायसंगत है।

03. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. संक्षेप में इस प्रकार है कि, न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी के आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 10 पर विचार कर आदेश दिनांक 16.07.2022 से प्रकरण माननीय प्रधान न्यायाधीश जिला न्यायालय ग्वालियर के समक्ष वादपत्र के मूल्यांकन 2,60,00,200/– रुपये होने से उक्त राशि के श्रवण की आर्थिक क्षेत्राधिकारिता

ना होने से अंतरित किया गया है। जबकि मूल वादपत्र में वाद का मूल्यांकन 90,00,200/– रुपये किया गया, परंतु संशोधित वादपत्र में वाद का मूल्यांकन 90,00,200/– रुपये के स्थान पर 2,60,00,200/– रुपये हो गया है। वह संशोधन की सही प्रति पेश कर रहा है, जिसे रिकार्ड पर लेना न्यायसंगत है। विधि का यह सिद्धांत है कि, यदि मूल वाद पत्र में संशोधन समाविष्ट हुआ है तो मूल वाद वही कहलाता है। ऐसी दशा में संशोधन वादपत्र में त्रुटि हुई है तो वह नहीं पढ़ी जावेगी। न्यायालय के द्वारा मूल वाद पत्र को विचार में लिए बिना संशोधित समाविष्ट किए जाने पर उसे मूल वाद मानकर दृष्टि ओझल हो जाने से आदेश पारित किया है। अतः आदेश दिनांक 16.07.2022 का पुर्नविलोकन किया जाकर वाद का मूल्यांकन 90,00,200/– रुपये होने से उक्त वाद मूल्यांकन किया जाकर आदेश का पुर्नविलोकन किये जाने का निवेदन किया गया है।

04. अपीलार्थीगण द्वारा अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि, विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश में संशोधित वाद पत्र का अवलोकन किया गया है लेकिन मूल वाद पत्र को विचार में नहीं लिया गया है। जबकि यह मान्य सिद्धांत है कि, मूल अभिलेख वादपत्र के अभिवचनों को ही माना जाता है। यदि संशोधन में ऐसा कोई आदेश विद्वान विचारण न्यायालय द्व ारा पारित न किया गया हो तथा संशोधित वादपत्र में संशोधन आदेश के विपरीत तथ्य लिखा हो तो भी मूल वाद पत्र को ही पढ़ा जावेगा। संशोधित वादपत्र मात्र सुविधा के लिए होता है लेकिन ओजिनल स्क्रिप्ट नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में यदि मूल वादपत्र में वाद का मूल्यांकन 90,00,200/– रुपये है तो उसको ही पढ़ा जाना न्याय की मंशा है लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि के सिद्धांतों के विपरीत मात्र संशोधित वादपत्र को विचार में लेकर आलोच्य आदेश पारित किया है। आलोच्य आदेश के स्थिर रहने पर अपीलार्थीगण को प्रकरण पुनः नये सिरे चलाना पड़ेगा, जिससे अपीलार्थीगण द्वारा साक्षी वृन्दावन बाथम पी.डब्लयू 01 मिसिल बंदोबस्त रिकार्ड लेकर एवं ललित पी.डब्लयू 02 जिला रिकार्ड कीपर भी रिकार्ड लेकर उपस्थित हुये थे एवं उन रिकार्डों पर प्रदर्श अंकित हो चुके हैं, वह व्यर्थ व निरर्थक होने की संभावना है। इन्हीं आधारों पर आलोच्य आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

05. अभिलेख के अवलोकन से निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैंः–

1. क्या आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2022 के विरुद्ध विविध अपील पोषनीय है ?
2. क्या आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2022 त्रुटिपूर्ण होने के कारण आपास्त किये जाने योग्य है ?

## –:विवेचन व निष्कर्षः–

**विचारणीय बिन्दु कमांक 01–**

06. विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2022 के द्वारा धन संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं होने से दावे को वापिस किया है। आदेश 47 नियम 01 के अनुसार आदेश 07 नियम 10 के अन्तर्गत दावा वापिस करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत हो सकती है, ऐसे दावा वापिसी आदेश, जो आदेश 07 नियम 10ए में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये किया गया हो, उनको छोड़कर। इस प्रकार यदि दावा आदेश 07 नियम 10ए में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये किया गया हो, उसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। अब देखना यह है कि, क्या आलोच्य आदेश को पारित करते समय आदेश 07 नियम 10ए की प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है या नहीं ? आदेश 07 नियम 10 एवं 10ए इस प्रकार है–

**नियम 10– वादपत्र का लौटाया जाना––** (1) {नियम 10–क के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वादपत्र} वाद के किसी भी प्रक्रम में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा, जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था।

स्पष्टीकरण–– शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय, वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात इस उपनियम के अधीन वादपत्र के लौटाये जाने का निर्देश दे सकेगा।

(2) वादपत्र के लौटाए जाने पर प्रक्रिया–– न्यायाधीश वादपत्र के लौटाये जाने पर, उस पर उसके उपस्थित किये जाने की और लौटाए जाने की तारीख, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटाए जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन पृष्ठाकिंत करेगा।

**नियम 10 (क)–** जहां वादपत्र उसके लौटाये जाने के पश्चात फाईल किया जाता है, वहां न्यायालय में उपसंजाति के लिए तारीख नियत करने की न्यायालय शक्ति–– (1) जहां किसी वाद में प्रतिवादी के उपसंजात होने के पश्चात न्यायालय की यह राय है कि, वादपत्र लौटाया जाना चाहिए, वहां वह ऐसा करने के पूर्व वादी को अपने विनिश्चय की सूचना देगा।

(2) जहां वादी को उपनियम (1) के अधीन सूचना दी गई हो, वहां वादी न्यायालय से––

(क) उस न्यायालय को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें वादपत्र लौटाये जाने के पश्चात वादपत्र प्रस्तुत करने की प्रस्थापना करता है,

(ख) यह प्रार्थना करते हुए कि न्यायालय उक्त न्यायालय में पक्षकारों की

उपसंजाति के लिए तारीख नियत करे, और

(ग) यह अनुरोध करते हुए कि इस प्रकार नियत तारीख की सूचना उसे और प्रतिवादी को दी जाए।

07. इस प्रकार आदेश 07 नियम 10ए के अनुसार प्रतिवादी की उपस्थिति के पश्चात जब न्यायालय का यह अभिमत हो कि, दावा वापिस करना चाहिए तो ऐसे आदेश की सूचना वादी को देनी चाहिए तथा सूचना देने के उपरांत वादी एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें उल्लेखित करेगा कि, वह किस न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहता है। वर्तमान प्रकरण में आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2022 को पारित करते हुये दावा वापिस किया गया है किन्तु आदेश पत्रिका से ऐसा दर्शित नहीं होता है कि, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दिनांक के पूर्व ऐसा अभिमत दिया गया हो कि, उसके द्वारा दावा वापिस करना है और वादी से उस संबंध में सूचना देकर आवेदन आहूत किया गया हों। आलोच्य आदेश दिनांक को ही न्यायालय द्वारा दावा वापिस करने का अभिमत दिया गया है और उसी आदेश में आगे लेख किया गया है कि, प्रतिवादी को सूचना देकर उसके मौखिक निवेदन करने पर तिथि निर्धारित कर प्रकरण वापिस किया गया है। आदेश 07 नियम 10ए के अनुसार वादी से आवेदन आहूत किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह दर्शित होता है कि, विचारण न्यायालय द्वारा वाद वापिस करते समय आदेश 07 नियम 10ए में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2022 के द्वारा दावा वापिस किया गया है, के विरुद्ध अपील पोषनीय है। तद्नुसार विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 निराकृत।

**<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक 02–</u>**

08. आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि, विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में लेख किया गया है कि, वादी के द्वारा संशोधित वादपत्र के पृष्ठ क्रमांक 2 पर पक्षकारों के नाम के पश्चात वादमूल्य 2,60,00,200/– रुपये लेख है, जिस पर पूर्व पीठासीन अधिकारी के सील, हस्ताक्षर व दिनांक अंकित हैं, जिससे विचारण न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि, संशोधित वादपत्र का कुल वादमूल्य 2,60,00,200/– रुपये है, जिसकी सुनवाई की उसे क्षेत्राधिकारिता नहीं है तथा उसी आधार पर क्षेत्राधिकारिता ना मानते हुये दावा को वापिस किया गया है।

09. अपीलार्थी की ओर से तर्क किया गया है कि, उक्त संशोधित वादमूल्य 2,60,00,200/– रुपये त्रुटिवश टंकित हो गये हैं जबकि मूल दावे में वादमूल्य 90,00,200/– रुपये लेख है। विचारण न्यायालय के अभिलेख से ऐसा दर्शित नहीं होता है कि, न्यायालय द्वारा वादमूल्य में संशोधन स्वीकार कर

समाविष्ट किया गया हो। इस प्रकार वादी का यह तर्क कि, त्रुटिवश संशोधित दावे में वादमूल्य 2,60,00,200/– रुपये लेख हो गया हो, उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह दर्शित होता है कि, विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटिवश संशोधित वादपत्र में वादमूल्य अधिक अंकित कर देने से अपना क्षेत्राधिकार ना मानते हुये दावा वापिस किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचना से यह दर्शित होता है कि, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2022 त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

10. अपीलार्थी की ओर से अपील मेमो में पुनरावलोकन आदेश दिनांक 13.09.2022 को भी आक्षेपित किया गया है। उक्त आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन निरस्त किया है। आदेश 43 नियम 01 (ब) के अनुसार पुनर्विलोकन के लिए आवेदन मंजूर करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील पोषनीय है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि, जिस आदेश के द्वारा पुर्नविलोकन आवेदन निरस्त किया गया हो, उसके विरुद्ध अपील पोषनीय नहीं है। अतः पुर्नविलोकन आवेदन को निरस्त करने संबंधित आदेश दिनांक 13.09.2022 पर विवेचना किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11. उपरोक्त कंडिका अनुसार यह पाया गया है कि, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.2022 त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। फलतः अपीलार्थी की अपील आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2022 के संबंध में **स्वीकार** कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.07.2022 **अपास्त** किया जाता है।

12. आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को भेजा जावे।

आज दिनांक को पारित हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(अशरफ अली)
दशम जिला न्यायाधीश
ग्वालियर (म0प्र0)

(अशरफ अली)
दशम जिला न्यायाधीश
ग्वालियर (म0प्र0)

ASHRAF ALI

Digitally signed by ASHRAF ALI
Date: 2022.12.10 17:58:35 +0530